संख्या- 4781/15-7-161491/95.

प्रेषक,

श्री अशोक मजुमदार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

16-01-96

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 कम्प्लेक्स,
फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली।

शिक्षा 171 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 10 जनवरी, 1996

विषय:- महर्षि विद्या मंदिर, वरदोई की डी०वी०एस० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महर्षि विद्या मंदिर, वरदोई की डी०वी०एस० नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों से आपत्ति नहीं है :-

1.- विद्यालय को वैधानिक औपचारिकता का तथा भूमि पर स्थायीकरण कराया जायेगा।

2.- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3.- विद्यालय में कम से कम दो प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4.- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/वैदिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

5.- संस्था वैदिक एवं विश्वेश्वरानन्द कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुबन्ध वेतनमानों तथा अन्य भत्तों के कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

6.- कर्मचारियों की सेवा शर्तें कायम जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुबन्ध सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

---2/-

17)- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

18)- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

19)- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था को सम्बद्धता दिये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि :-

11)- विद्यालय के समस्त कर्मचारियों व अध्यापकों को मानकानुरूप वेतन तथा मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जाय ।

12)- विद्यालय में पर्याप्त शिक्षण कक्ष, मानकानुसार विज्ञान प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय उपलब्ध है ।

13)- विद्यालय का निजी भवन मानक के अनुसार 2 वर्ष के भीतर कर लिया जायेगा ।

14)- विद्यालय में प्रवेश शुल्क के मद में रु0 50/- लिया जा रहा है तथा इससे अधिक शुल्क इस मद में नहीं लिया जा रहा है ।

15)- विद्यालय में शिक्षित मं0पी0एम0 योजना लागू है ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की त्रुटि या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(प्रमोद गांगुली)
संयुक्त सचिव ।

संख्या- 470(1)11/15-7-161491/95, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

11)- शिक्षा निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ ।
12)- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ
13)- जिला विद्यालय निरीक्षक, हरदोई
14)- निरीक्षक, सैनिक भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ
15)- प्रबन्धक, महर्षि विद्या मंदिर, हरदोई ।

आज्ञा से,

(प्रमोद गांगुली)
संयुक्त सचिव ।